न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2018

1. कालासिंह (मृतक) पुत्र करतारसिंह
   1/1 कुलवंतकौर पत्नी कालासिंह
   1/2 बलविन्द्रसिंह पुत्र कालासिंह
   1/3 अमरीकसिंह पुत्र कालासिंह
   1/4 मलकीतसिंह पुत्र कालासिंह
   निवासीगण भाम्भू कालानी म.न. 13 गली नं. 4 वार्ड नं. 18 नजदीक जस्सासिंह मार्ग श्रीगंगानगर
2. दलीपसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. जीतसिंह पुत्र करतारसिंह (मृतक) वारिसान
   1/1 गुरदीपकौर पत्नी जीतसिंह
   1/2 मंगलसिंह पुत्र जीतसिंह
   1/3 जिन्दरकौर पुत्री जीतसिंह
   1/4 गोगो पुत्री जीतसिंह
   1/5 भोलो पुत्री जीतसिंह
   1/6 मन्नो पुत्री जीतसिंह
   1/7 मीतो पुत्री जीतसिंह
   जाति जटसिख निवासीगण गांव हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
3. भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास श्रीगंगानगर जाति शाखा प्रबन्धक

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर 26.06.2018

उपस्थिति:—

श्री रामप्रकाश गुप्ता, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री जरनैलसिंह दुरना अभिभाषक रेस्पो.
श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 05.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि जीतसिंह मृतक को बतौर पाकिस्तान से आये बतौर नोन कलेमेंट जीवों के आधार पर चक 22 एल एन पी में मु.न. 60 की 25 बीघा भूमि आवंटन की गई थी जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था। लेकिन जीतसिंह ने सरकारी कर्मचारियों से मिलकर तेजकौर व जीतकौर की 10 बीघा भूमिकुल 15 बीघा भूमि अपने नाम विधि विरूद्ध करवा ली जिसका लाभ उठाते हुए अब अप्रार्थीगण उक्त भूमि का रहन बैय करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मु.न. 60 के कि.न. 1 से 15 में से 10 बीघा भूमि का रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करे।

अप्रार्थीगण ने जबाव पेश कर कथन किया कि मु.न. 60 की 25 बीघा भूमि अकेले जीतसिंह की खातेदारी थी जीतसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हो चुका है। भूमि की खातेदारी सनद जारी हो चुकी है अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है, प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामा नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 26.06.2018 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि 5 जीवों को जीवों की संख्या के आधार पर जीतसिंह को आवंटित हुई थी जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है परन्तु जीतसिंह ने अपनी माता व बहिन जीतकौर की 10 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जिसको वह हस्तान्तरण करने की फिराक में है प्रार्थीगण ने अधी. न्यायालय में वाद एवं उसके साथ धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश। अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। वकील अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट ने वादी ने अधी. न्यायालय में विभाजन व घोषणा का वाद पेश किया जिसमें अधी. न्यायालय ने जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्ट नहीं किया। अपीलांट व रेस्पों. को पांच जीवों का परिवार मानकर 25 बीघा भूमि पुनर्वास के रूप में दी गई थी, परन्तु परिवार में सबसे बडा होने के कारण जीतसिंह के नाम आंवटित हो गई जबकि परिवार में जीतसिंह की माता, बहन व भाई कुल पांच सदस्य थे। इस प्रकार इस भूमि में प्रत्येक सदस्य की 5 बीघा भूमि थी। अधी. न्यायालय ने स्वअर्जित भूमि मानकर निर्णय किया है। आवंटित भूमि को स्वअर्जित नहीं माना जा सकता जिसके समर्थन में विधि दृष्टांत आर.आर.डी. 14.02.2014 पेज 139 पैरा सं. 29, 30 पेश किया। यह आवंटित भूमि हिन्दु अविभाजित परिवार की सम्पति थी। वास्तव में यह भूमि माता के नाम से ही आवंटित होनी चाहिए थी। अतः संयुक्त परिवार की भूमि होने से अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी अपीलांट के पक्ष में है। तदानुसार अधी. न्यायालय ने अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस नहीं मानकर भारी भूल की है। ऐसी स्थिति अपीलांट के पक्ष में चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेस्पों. को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, क्योंकि रेस्पों. विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द करने व हस्तांतरण करने

पर उतारू है जिससे वाद में बहुलता बढेगी व न्याय प्रभावित होगा। अतः अपील अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आर.आर.डी. 14.12.2016 पेज 782, आर.आर.डी. दिसम्बर 2002 पेज 744, डी.एन.जे. 2012(1) पेज 332 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। पूर्व में भी अपीलांट के पिता/पति कालासिंह ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में एक वाद पेश किया था जिसमें भी स्थगन आदेश का आवेदन खारिज किया गया था। बाद में यह वाद खारिज हुआ था। इस तथ्य को अपीलांट ने कहीं भी जाहिर नहीं किया जोकि तथ्य छुपाने की श्रेणी में आता है। यह न्यायालय के साथ धोखा है तथा तथ्य छुपाकर आने की स्थिति में न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 हिमाचल प्रदेश पेज 85 के अनुसार न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करना ही चाहिए। इसी क्रम में एआई आर 1992 देहली 197 भी पेश किया व कहा कि इसमें वर्णित प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य छुपाकर प्रस्तुत किये दावे को मैरिट पर जांच किये बिना ही खारिज किया गया। इसी प्रकार एआईआर 1994 एससी 853 में माननीय सर्वोच्चम न्यायालय का अन्य निर्णय भी है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय के द्वारा पक्षकारों का आचरण देखना भी जरूरी है। यहां अपीलांट ने न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने के लिए अलग नाम से दावा किया है। इसके अलावा विधि दृष्टांत 2008 राजस्थान उच्च न्यायालय (एन.यू.सी.) 1259 भी पेश किया व कहा कि कोर्ट को धारा 151 सीपीसी के तहत भी दावा खारिज करने की शक्तियां प्राप्त हैं एवं तदनुसार इस प्रकरण में इसी स्तर पर इस न्यायालय को यह दावा ही खारिज कर देना चाहिए। विधि दृष्टांत ए.आई. आर. 2007 पेज 1754(बी.) के अनुसार सम्पत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार ही नहीं है बल्कि मानव अधिकार भी है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा की पाबन्दी के माध्यम से एक Right Owner को सम्पत्ति के उपभोग उपयोग से वंचित नहीं किया

जा सकता। रेस्पों. ने आवंटित भूमि की देय सारी किश्तें स्वयं अपने स्तर से अपनी स्वअर्जित आय से भरकर सनद जारी करवायी है। सनद के आदेश दिनांक 19.10.98 के विरूद्ध कोई अपील नहीं हुई है एवं वह आदेश अन्तिम हो चुका है जिसे इस वाद के जरिये चुनौती नहीं दे सकते हैं एवं इस वाद के जरिये अपीलांट को विवादित भूमि में चाहा गया अनुतोष सम्भव ही नहीं है। अधी. न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत हुआ है उसमें कोई वादकरण ही नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों मार्गदर्शक सिद्धांत से अपीलांट के पक्ष में यह तीनों ही बिन्दु नहीं होने से वह रेस्पों. के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। इसके आगे वकील रेस्पों. ने विधि दृष्टांत आर.आर.डी. 2015 पेज 210, आर.आर.डी. 1993 पेज 430, आर.आर.डी. 1984 पेज 492 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि इनके अनुसार अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। यदि प्रकरण में कोई वादकरण नहीं हो तो एआईआर 1993 पेज 32 के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। यदि कोई पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी भी किया हुआ है तो 2015 बोम्बे एन.ओ.सी. पेज 545 के अनुसार कभी भी अस्थाई निषेधाज्ञा रिकॉल किया जा सकता है। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने पूर्णतया विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए अपीलांट/ प्रार्थीगण का आवेदन अस्वीकार किया है जिसके सम्बन्ध में उन्हें इस अपील के जरिये भी कोई राहत प्राप्त नहीं हो सकती। तदनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाए।

बहस का जबाब देते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि उन्होंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है उनका आचरण सही है। चुंकि प्रकरण में भूमि माता की ही थी इस कारण से विभाजन का दावा कभी भी लाया जा सकता है। पुनः दावा पेश करने पर बाधा नहीं है। पुराना दावा गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुआ है। वाद में वादकारण मौजूद है। रेस्पों. के कथनानुसार दावा धारा 151 सीपीसी में खारिज नहीं किया जा सकता है। तदनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पों. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांतों का सम्मानपर्वूक अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की सनद रेस्पों. के पिता/पति के नाम जारी होकर इनकी खातेदारी में अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता है कि भूमि जीवों के आधार पर आवंटित की गई है। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा इस भूमि को हिन्दु अविभाजित परिवार की सम्पत्ति होने का तर्क भी दिया गया। वस्तुतः अपीलांट ने अपने अपील मीमों में इसप्रकार जो भी बिन्दु उठाए हैं उनका निर्णय गुणावगुण के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद के निस्तारण के समय ही सम्भव है। यहां पर प्रथम दृष्टया रेस्पों. अभिलिखित खातेदार है एवं प्रथम दृष्टया विवादित भूमि की सनद भी रेस्पों. के नाम से ही जारी हुई है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में भी अभिलिखित खातेदारों को रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांतों के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अधी. न्यायालय ने उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत अपीलांट्स/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। उपर किये गये विवेचन के अनुसार अधी. न्यायालय के इस निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर